इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.


# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 501] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 22 नवम्बर 2011—अग्रहायण 1, शक 1933


### मछली पालन विभाग

मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 नवम्बर 2011

क्र. एफ-22-58-2011-छत्तीस.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश में महाशीर मछली (Tor Tor) को राज्य मछली (स्टेट फिश) घोषित की जाती है.

**''प्रदेश की जीवन धारा कही जाने वाली प्राचीन एवं आध्यात्मिक महत्वता से परिपूर्ण नर्मदा नदी में पूर्व में स्थापित किन्तु वर्तमान में कम हो रही प्रजाति ''महाशीर'' Tor Tor को स्टेट फिश घोषित किया जाना प्रस्तावित है.''**

मत्स्य पालन हेतु जल संसाधनों से समुद्र प्रदेश में कुल 3.498 लाख हे. जलक्षेत्र उपलब्ध है जिसमें 2.928 लाख हे. जलक्षेत्र जलाशय का तथा 0.57 लाख हे. जलक्षेत्र ग्रामीण तालाब एवं पोखर का है इसके अतिरिक्त प्रदेश के तीन प्रमुख नदी बेसिन यथा नर्मदा, ताप्ति, माही सीधे एवं दो अप्रत्यक्ष रूप से गंगा एवं गोदावरी नदी वैसिन में 17,088 किलोमीटर में मुख्य नदियां एवं सहायक नदियां प्रवाहित हैं.

प्रदेश में जूलजीकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार 215 मत्स्य प्रजातियां उपलब्ध हैं, जिनमें 39 प्रजातियाँ आर्थिक रूप से उपयोगी हैं, एवं 17 प्रजातियाँ ''नेशनल ब्यूरो ऑफ फिशरीज जेनेटिक रिर्सोसेस'' के अनुसार विलुप्त होने की कगार पर है इसमें से एक प्रजाति का राष्ट्रीय मत्स्य आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, लखनऊ के निदेशक ने भी अपने पत्र क्रमांक 5077 दिनांक 25-08-2011 मे महाशीर मछली (Tor Tor) को ''स्टेट फिश'' घोषित किये जाने हेतु सलाह दी गई है. चयन कर स्टेट फिश घोषित किया जाना है.

**''महाशीर (Tor Tor) को ''स्टेट फिश'' घोषित किए जाने का आधार.**—महाशीर मुख्यत: नर्मदा नदी में पाई जाती है स्थानीय भाषा में इसे बाड़स कहते हैं. नर्मदा नदी की कुल लम्बाई 1,312 किलोमीटर है. नर्मदा नदी प्रदेश की जीवन रेखा माने जाने वाली प्रदेश में 1077 किलोमीटर में फैली हुई है एवं मध्यप्रदेश एवं महाराष्ट्र की सीमा में 35 किलोमीटर तथा मध्यप्रदेश एवं गुजरात की सीमा में 39 किलोमीटर और नर्मदा नदी प्रवाहित है, महाशीर मछली नर्मदा नदी की प्रमुख मछली है, और नर्मदा नदी की इतनी बड़ी सीमा मध्यप्रदेश में होना ही महाशीर को स्टेट फिश घोषित किये जाने का मुख्य आधार है. केन्द्रीय अन्तरस्थलीय मात्स्यिकीय अनुसंधान, कोलकाता की सर्वे रिपोर्ट के अनुसार नर्मदा नदी में वर्ष 1958 से 1966 के मध्य मत्स्याखेट में महाशीर प्रजाति 28 प्रतिशत थी. वर्तमान में नर्मदा नदी होशंगाबाद के पास महाशीर का उत्पादन 10 से 15 प्रतिशत ही रह गया है. प्रदेश में जैव विविधता संरक्षण एवं पारिस्थिकीय संतुलन हेतु महाशीर मछली का संरक्षण आवश्यक है. महाशीर एक प्रमुख स्पोंट फिश है. जिसकी मध्यप्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों के जलाशय में इस मछली का संचयन करने से पर्यटन विकास भी होगा.

**महाशीर मछली की संख्या में कमी के कारण.**—नर्मदा बेसिन में जलाशयों के निर्मित होने से महाशीर के प्रजनन स्थल के डूब में आ जाने, माइग्रेशन रुक जाने से प्राकृतिक प्रजनन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, नदी से कृषि हेतु अत्याधिक जल का निष्कासन, नर्मदा जल से प्रदूषण वृद्धि, नदियों में नि:शुल्क मत्स्याखेट होने से महाशीर का अत्याधिक विदोहन, मछुआरों में प्राकृतिक मत्स्य संरक्षण भावना का अभाव, महाशीर मछली (एंगलिग फिश) ग्रासपिंग प्रवृत्ति के कारण वंशी डोरी से पकड़ी जाना है.

**महाशीर मछली संरक्षण के प्रयास.**—प्रथम चरण में महाशीर को ''स्टेट फिश'' घोषित किया जावेगा तदुपरान्त महाशीर मछली के संरक्षण एवं वृद्धि के प्रयास किये जावेगे. आगे की रूपरेखा निम्नानुसार है:—

महाशीर का मत्स्य बीज उत्पादन हेतु नर्मदा किनारे होशंगाबाद जिले में हेचरी तथा प्रक्षेत्र का निर्माण कराया जावेगा. जिसमें महाशीर मछली का प्रजनन कराकर मत्स्य बीज संवर्धन कर नदियों के गहरे दहो में संचित किया जावेगा.

नर्मदा नदी से महाशीर मत्स्य बीज का एकत्रीकरण कर संवर्धन एवं संचयन, महाशीर प्रजनको का एकत्रीकरण कर प्रेरित प्रजनन से वंश वृद्धि का प्रयास.

प्रदेश के बाहर जैसे—लौनावला (पुणे) से महाशीर मत्स्य बीज क्रय कर विभागीय प्रक्षेत्रों एवं जलाशयों में संचयन, महाशीर मत्स्य बीज संचयन हेतु पृथक से प्रक्षेत्रों में संवर्धन जल क्षेत्र आरक्षित कर संचयन कार्य करना.

महाशीर के प्राकृतिक संरक्षण हेतु नर्मदा बेसिन एवं ऐसे स्थल जहाँ महाशीर प्राकृतिक रूप से पायी जाती है के मछुआरों की जागरूकता हेतु मछुआ गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा.

नदियों, विभागीय एवं अन्य जलाशयों में महाशीर के निष्कासन को प्रतिबंधित करना, एन.बी.एफ.जी.आर. से महाशीर फिश मिल्ट का क्रायो प्रिजरवेशन करवाना.

जैवविविधता के संरक्षण हेतु अनुसंधान एवं विभाग के मध्य समन्वय स्थापित कर मछली के संरक्षण की पहल पर गहन अध्ययन किया जाना प्रस्तावित है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**आर. आर. अहिरवार,** उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011